महत्वपूर्ण / बजट

संख्या-I/252493 /07(150)2020/XXVII(1)/2024

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग-1 देहरादून : दिनांक 08 नवम्बर, 2024

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2025-26 के विभागीय आय-व्ययक तथा वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद-202 के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राज्य सरकार का आय-व्ययक विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिसमें वित्तीय वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों व व्ययों का विवरण समाहित होता है। राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा निधि के आधार पर तैयार किया जाता है। समेकित निधि प्राप्ति एवं व्यय में विभक्त होता है। व्यय को राजस्व एवं पूंजीगत खाते में विभक्त किया जाता है, जिसे भारित एवं मतदेय में बांटा जाता है। इसी प्रकार प्राप्ति को राजस्व प्राप्ति एवं पूंजीगत प्राप्ति के रूप में अलग-अलग दिखाया जाता है।

2- उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में प्रशासकीय अधिकारियों और सचिवालय के विभागों के पथ-प्रदर्शन के लिये वे नियम दिये गये हैं जो सामान्य रूप से बजट सम्बन्धी प्रक्रिया और विशेष रूप से वार्षिक बजट अनुमानों को तैयार करने और उनका परीक्षण करने तथा व्यय पर अनुवर्ती नियंत्रण रखने से सम्बन्धित हैं। उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक प्रशासनिक विभाग अपने नियमित (regular) बजट प्रस्ताव (आय, व्यय, नई मांग, जेण्डर बजट तथा पदों की सूचना), जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्राप्तियों एवं व्ययों के अनुमान सम्मिलित हैं, वित्त विभाग में निर्धारित प्रपत्रों में विलम्बतम दिनांक 20.12.2024 तक IFMS के माध्यम से औचित्य सहित ऑनलाईन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें (नियमित बजट मांग हेतु हार्डकॉपी/ऑफलाइन पत्रावली की आवश्यकता नहीं है)। **नई मांग के प्रस्ताव प्रशासकीय स्वीकृति के साथ विभाग के सचिव स्तर से IFMS के माध्यम से पृथक से किये जायेंगे, जिसकी हार्ड कॉपी/ऑफलाईन पत्रावली पर विलम्बतम 20.12.2024 तक वित्त विभाग में अवश्य उपलब्ध करा दी जाय (गाईडलाईन संलग्नक-1)।** सीमित संसाधनों के दृष्टिगत मितव्ययता एवं वित्तीय अनुशासन के सिद्धान्त का अनुपालन करते हुये आवश्यकता आधारित (Need Based) प्रस्ताव भेजे जायें। प्रस्ताव भेजे जाने हेतु आई०एफ०एम०एस० पोर्टल पर Last moment traffic से बचने के लिये अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न की जाये। बजट मांग करने से पूर्व इस शासनादेश में दिये गये निदेशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया जाये।

3- उपरोक्तानुसार आय-व्ययक अनुमान तैयार करने हेतु पथ प्रदर्शन के लिये इस पत्र के माध्यम से निम्नांकित बिन्दुओं की ओर विशेष ध्यान आकृष्ट करते हुये यह अपेक्षा है कि आय-व्ययक के अनुमान

प्रत्येक दशा में उक्त तिथि तक वित्त विभाग में उपलब्ध करा दिये जायें :-

1. वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु बजट प्रस्तावों के प्रस्ताव तैयार किये जाते समय राज्य सरकार की नीति "सशक्त उत्तराखण्ड@25" के अन्तर्गत अल्पकालिक (02 वर्ष), मध्यकालिक (05 वर्ष) एवं दीर्घकालिक (10 वर्ष) रोड मैप को अवश्य ध्यान में रखा जाय। सेतु आयोग द्वारा समस्त विभागों को वार्षिक कार्य योजना 2025–26 के प्रारूप पृथक से प्रेषित किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में विभाग सेतु आयोग से सम्पर्क कर विचार–विमर्श कर लें।

2. बजट मैनुअल के अध्याय–**III** प्रस्तर–16 में आय–व्ययक अनुमान के सही होने एवं उसके सम्बन्ध में उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। तदनुसार यह आवश्यक है कि आय–व्ययक अनुमान आय व व्यय में सभी मदों के सम्बन्ध में गहन विचार एवं विशेष ध्यान देकर विभागीय वित्त नियंत्रकों की देख रेख में तैयार किये जायें एवं तैयार करते समय सभी सम्भावित कारकों, जो वास्तविक परिणामों को प्रभावित करें, को ध्यान में रखा जाय।

3. बजट मैनुअल के प्रस्तर–17 (अध्याय–**III**) में स्पष्ट उल्लिखित है कि आय–व्ययक अनुमान कुल आधार (Gross basis) पर तैयार किया जाय न कि शुद्ध आधार (Net basis) पर। तदनुसार प्राप्तियों एवं व्यय के अनुमान कुल आधार पर तैयार किये जायें। आय एवं व्यय दोनों अनुमान पृथक–पृथक बनाये जायें एवं ऐसा करते समय किसी मद में व्यय अनुमान से प्राप्तियों के अनुमान को घटाया जाना अनुमन्य नहीं है।

4. वित्तीय वर्ष 2025–26 के विभागीय मांग का प्रस्ताव तथा आय एवं नई मांग का प्रस्ताव **पूर्ण औचित्य** के साथ **IFMS** से प्राप्त रिपोर्ट सहित वित्त विभाग को दिनांक 20.12.2024 तक आई०एफ०एम०एस० के माध्यम से ऑनलाईन उपलब्ध कराए जायेंगे। ऑन लाईन सुविधा **ifms.uk.gov.in** पर की जानी है। सर्वप्रथम आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा बजट मांग **IFMS** सॉफ्टवेयर में अपलोड की जायेगी। उसके पश्चात् विभागाध्यक्ष द्वारा समस्त आहरण–वितरण अधिकारियों की मांग को संकलित करते हुए उसमें युक्तियुक्त संशोधन के साथ मांग अपलोड करेंगे। तदोपरान्त समस्त विभागीय सचिव अपने स्तर से प्रत्येक योजना की मानक मदवार मांग का अवलोकन कर Significant Change (गत वर्ष के बजट से 10 प्रतिशत से अधिक) का **पूर्ण औचित्य** सहित प्रस्ताव वित्त विभाग के सम्बन्धित व्यय नियंत्रण अनुभागों को सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित करेंगे। प्रायः यह देखा गया है कि औचित्य के स्थान पर "**OK, DONE, ATTACHED**" आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उचित नहीं है। **वित्त अनुभागों का दायित्व होगा कि ऐसे अस्पष्ट औचित्य को विभागीय सचिव को औचित्य स्पष्ट करने हेतु प्रकरण वापिस कर दें।** विभागीय सचिव स्तर के स्पष्ट औचित्य के अभाव में वित्त विभाग अपने विवेकानुसार अनुमानों को अन्तिम रूप दे सकता है। इस प्रकार अनुमानों में किसी प्रकार की अशुद्धियों की जिम्मेदारी सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग की होगी। यदि आई०एफ०एम०एस० से प्राप्त सूचना में योजना का नाम व फण्डिंग पैटर्न आदि में बजट साहित्य से कोई भिन्नता हो तो वह निदेशक, कोषागार को तत्काल अवगत करायेंगे। इस प्रकार समस्त विभागों की समस्त सूचनाओं को संकलित करने के पश्चात् वित्त विभाग द्वारा (Pre budget/RE budget) विभागीय बैठक की जायेगी जिसकी समयसारणी बाद में सूचित की जायेगी। **विभागीय बैठक में केवल सचिव स्तर की मांग एवं औचित्य पर ही चर्चा की जायेगी।** इस बैठक में अधिकारी पूर्ण तैयारी के साथ प्रतिभाग करेंगे, जिसमें तीन वर्षों के प्राप्ति, व्यय, PLA, CSS, EAP, NABARD, जिला योजना तथा राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम आहरण के वास्तविक आंकड़ों पर चर्चा करते हुए पूर्ण औचित्य के साथ वित्तीय वर्ष 2025–26 की मांग को अन्तिम रूप दिया जायेगा। मानक मद–08–पारिश्रमिक

हेतु इन्नत, वी०आर०डी० आदि सृजित पदों के सापेक्ष संख्या का औचित्य बजट साहित्य खण्ड–6 को ध्यान में रखते हुये मांग करेंगे। मानक मद–27–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान हेतु मांग के सम्बन्ध में कौन–कौन सी सेवायें आउटसोर्स से सम्बन्धित है, औचित्य सहित प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। CSS योजना हेतु भारत सरकार में प्रचलित मानक व प्रक्रिया अनुसार ही प्रस्ताव किया जायेगा। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश संख्या **F.No.1(27)/PFMS/2020** दिनांक 21.06.2024 (संलग्नक–10) के निर्देश के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 से राज्य में प्रचलित 27 केन्द्रपोषित योजनाएं एस०एन०ए० स्पर्श (**Just in Time Based**) मोड में चलायी जानी है जिसके लिये फण्डिंग पैटर्न का स्पष्ट उल्लेख करते हुये एक योजना हेतु मात्र एक बजट लाईन खोली जानी है। इस लाईन के पृथक–पृथक मानक मदों (70, 71 एवं 72) द्वारा केन्द्र, राज्य व टॉप अप की मांग की जा सकती है। उदाहरण निम्नवत है–

अनु०सं०–19
लेखाशीर्षक – 2216–00–102–01–10 –प्रधानमंत्री आवास योजना 90:10
मानक मद – 70–केन्द्रांश– ______
71– केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश– ______
72– टॉप अप (यदि कोई हो)– ______

अर्थात उक्त 27 केन्द्रपोषित योजनाओं हेतु गत वर्ष की भांति राज्यांश व टॉप अप के लिये अलग बजट लाईन नहीं खोली जानी है परन्तु शेष केन्द्रपोषित योजनाओं के लिये पूर्व की भांति व्यवस्था यथावत् रहेगी अतः तद्नुसार बजट मांग प्रस्तावित की जाय।

5. विभागों द्वारा कई राज्य योजनाओं की मानक मद 42, 56 व 56 आदि से सम्बन्धित धनराशि आहरित कर विभिन्न बैंको में रखी गयी है जिन्हें जाई०एफ०एम०एस० के माध्यम से मैप किया गया है, यह रिपोर्ट एम०आई०एस० (**Management Information System**) में उपलब्ध है। वित्त विभाग द्वारा उक्त योजनाओं की उक्त मदों में मांग पर विचार उक्त एम०आई०एस० से सत्यापित करने के बाद ही किया जायेगा।
6. आय–व्ययक अनुमान तैयार करते समय पिछले तीन वर्षों के औसत वास्तविक आंकड़े तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु पुनरीक्षित अनुमानों को ध्यान में रखा जाना चाहिये।
7. बजट मैनुअल के <u>अध्याय–V के प्रस्तर–31</u> के अनुसार एकमुश्त प्राविधान सामान्यतया नहीं किया जाना चाहिये, परन्तु जहाँ एकमुश्त प्राविधान किया जाना अपरिहार्य हो, वहाँ आय–व्ययक अनुमानों के साथ दी जाने वाली टिप्पणी में सम्बन्धित मुख्य कार्य मदो के विवरण व उनसे सम्बन्धित अनुमान साथ में दिया जाय।
8. <u>वित्त विभाग की पृच्छायें एवं इस परिप्रेक्ष्य में विभागीय दायित्व</u> :–

विभागों से प्राप्त आय–व्ययक अनुमानों का वित्त विभाग में परीक्षण कर एफ०आर०बी०एम० एक्ट के अनुरूप अन्तिमीकरण किया जाता है। इस सम्बन्ध में कई बार वित्त विभाग द्वारा अतिरिक्त सूचनाओं की अपेक्षा विभागों से की जाती है। बजट मैनुअल के <u>अध्याय–VII पैरा–64</u> में आय–व्ययक अनुमानों को निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभागों के दायित्व स्पष्ट इंगित किए गये हैं जिसमें निम्नलिखित व्यवस्था इंगित है –

"अनुमानों की जाँच के दौरान वित्त विभाग यह मान सकता है कि इनके तय किये जाने से पहले कुछ विशेष मदों के सम्बन्ध में और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। ऐसी अतिरिक्त जानकारी

तुरन्त प्रदान करने की आवश्यकता पर बल देना आवश्यक है। वित्त विभाग सामान्यतः अपनी पूछताछ सचिवालय से सम्बद्ध प्रशासनिक विभाग से करेगा तथा जहाँ आवश्यक हो प्रशासनिक विभाग, विभागाध्यक्षों से परामर्श कर जानकारी प्राप्त करेगा। यह स्पष्ट है कि जहाँ विवरण, विभागाध्यक्षों या अन्य प्राक्कलन अधिकारियों से प्राप्त होता है, वहाँ वित्त विभाग सीधे सम्बद्ध अधिकारियों से पूछताछ कर सकता है अपेक्षित सूचना निर्धारित समय के भीतर वित्त विभाग को प्रस्तुत की जानी चाहिये। अन्यथा वित्त विभाग अपने विवेकानुसार अनुमानों को अन्तिम रूप दे देगा तथा अनुमानों में किसी प्रकार की अशुद्धियों की जिम्मेदारी सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग की होगी।

9. <u>राजस्व अनुमान :-</u>

प्रदेश सरकार की प्राप्तियों के मुख्य स्रोत कर तथा करेत्तर राजस्व है। विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सृजित परिसम्पत्तियों के संचालन व रखरखाव में भी व्यय भार बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसी दशा में एवं विशेषकर तब जब कई मामलों में दरों का पुनरीक्षण लम्बे समय से नहीं किया गया है, कर एवं करेत्तर राजस्व में वृद्धि किये जाने का पूर्ण औचित्य है। अतः सभी प्रशासकीय विभागों से अपेक्षित है कि दरों के पुनरीक्षण शीघ्र कराने एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 30 नवम्बर, 2024 तक प्राप्त राजस्व के आधार पर निर्धारित प्रारूप पर (संलग्नक-3) दिनांक 20.12.2024 तक वित्त विभाग को उपलब्ध करा दी जाय। इस सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है :-

(क) जिन मामलों में शासन द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं की फीस इत्यादि का लम्बे समय से पुनरीक्षण नहीं किया गया है, उन सेवाओं पर फीस की दरों का तत्काल पुनरीक्षण करने पर विचार किया जाय।

(ख) राजस्व की वसूली के सम्बन्ध में वसूली पर लागत (कॉस्ट ऑफ कलेक्शन) की समीक्षा की जाय।

(ग) कर राजस्व की प्राप्तियों के अनुमान निर्धारित करते समय पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक मद में हुई प्राप्ति की वृद्धि की प्रवृत्ति [Trend] को ध्यान में रखा जाए तथा अनुमान निर्धारित करने में राजस्व बकायों की विशेष अभियान चलाकर वसूली तथा कर अपवंचन पर अंकुश लगाने के उपायों से होने वाली वसूली को भी ध्यान में रखा जाए।

(घ) पूँजीगत प्राप्तियों के अनुमानों में उधार एवं अग्रिम की वसूली एक प्रमुख मद है। अतः इनके अनुमानों के निर्धारण करते समय दिये गये उधार एवं अग्रिम की देय किश्तों को आधार मानते हुए अनुमान निर्धारित किए जाय। साथ ही गत वर्षों के सापेक्ष वसूली हेतु शेष धनराशि को भी संज्ञान में लिया जाय तथा उसके अनुमान भी प्रस्तुत किये जायें। यह अनुभव हुआ है कि प्रशासकीय विभाग के स्तर पर ऋणों के सापेक्ष देय ब्याज एवं अग्रिम की वसूली की सूचनाओं एवं उसके अनुश्रवण की कोई समुचित व्यवस्था नहीं रखी जा रही है। अतः यह अपेक्षित है कि इस सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था तत्काल कर ली जाय।

(ङ) केन्द्र पुरोनिधानित एवं वाह्य सहायतित योजनाओं में केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि के सही व पुष्ट अनुमान भी प्रस्तुत किये जायें। साथ ही केन्द्र सरकार एवं अन्य राज्यों/संस्थाओं से प्राप्त होने के लिये शेष पूर्व वर्षों के लम्बित मामलों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाय।

(च) गतवर्षों में प्रायः यह देखा गया है कि प्रशासनिक विभाग व्यय के अनुमान तो निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध करवा देते हैं, परन्तु आय व ऋण सम्बन्धित आकड़ों को निर्धारित प्रपत्र में नहीं भेजते। यदि सम्बन्धित विभागों द्वारा आय और ऋण की सूचना प्रारूप पर नहीं उपलब्ध करायी जाती तो आगामी वर्ष के व्यय सम्बन्धी अनुमान भी स्वीकार नहीं किये जायेंगे एवं इस सम्बन्ध में समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभाग का होगा। निर्धारित प्रपत्र नमूने संलग्न है (संलग्नक-3)।

(छ) राजस्व वापसियाँ (रिफण्ड्स) : जहाँ कहीं आवश्यक हो, राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों में वापस होने वाली धनराशियों के लिये व्यवस्था की जाय, जिन्हें राजस्व के मुख्य लेखाशीर्ष के अधीन एक पृथक लघुशीर्ष–"घटाएं वापसियाँ" के अधीन दिखाया जाये।

तदनुसार प्रशासकीय विभागों का यह दायित्व होगा कि कर एवं करेतर राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित अनुमान वित्त विभाग में दिनांक 20.12.2024 तक उपलब्ध करा दिये जायें।

10. <u>व्यय के अनुमान</u> :-

आदर्श आय–व्ययक की संरचना में यह आवश्यक है कि राजस्व व्यय की पूर्ति राजस्व प्राप्तियों से तथा पूंजी–व्यय की पूर्ति राजस्व अधिशेष/पूंजीगत प्राप्तियों से हो जाय, अर्थात राजस्व व पूंजीगत पक्ष के आय और व्यय सन्तुलित रहें।

यह भी समय की आवश्यकता है कि प्राप्ति पक्ष के अनुमानों में वृद्धि के साथ–साथ प्रयास होना चाहिये कि व्यय पक्ष विशेषकर राजस्व पक्ष के व्यय में कमी लाये जाने के लिए गम्भीर प्रयास किये जायें। इन प्रयासों में व्यय पक्ष के अनुमानों के निर्धारण के लिए निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखना आवश्यक है :-

(क) राज्य सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष का परिणाम बजट (Out Come budget) भी प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आवश्यक ... [illegible] ... (संलग्नक–5) ... [illegible] ... करना है।

(ख) समस्त अनुमोदित और चालू योजनाओं के अनुमान निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक–4) में वित्त विभाग को समय से उपलब्ध करा दिये जायें। ऐसी योजनायें जिनके बारे में विभागीय स्तर पर यह निर्णय लिया जाता है कि उन्हें आगामी वर्ष में नहीं चलाया जायेगा, उनके बारे में बजट मांग न की जाय। नियोजन विभाग (सेतु आयोग) को भी यथा सम्भव विभिन्न योजनाओं के 13 अंक के लेखाशीर्षक उपलब्ध कराये जायें। पुरानी योजनाओं को युक्ति संगत (Rationalise) किया जाय। जिन योजनाओं की उपादेयता नहीं रह गई है, उन्हें समाप्त किया जा सकता है तथा चालू योजनाओं की मध्यावधि मूल्यांकन/समीक्षा करते हुये उनकी उपादेयता/उपयोगिता होने पर ही उन्हें आगे बढ़ाया जाय। <u>यह अनुभव किया गया है कि वर्तमान में चल रही योजनाओं के सम्बन्ध में विभागों को योजना की स्वीकृत अवधि, योजना में स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य, योजनाओं का फण्डिंग पैटर्न तथा योजना के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले परिणाम व प्रभाव (Out Come and Impact) के अनुमोदित अनुमानों की जानकारी नहीं रहती है जिस कारण सम्बन्धित योजनाओं में साल दर साल बिना सोच विचार के बजट व्यवस्था करा ली जाती है। यह व्यवस्था कदापि उचित नहीं है।</u> अतः चालू योजनाओं हेतु व्यय अनुमान उक्त बिन्दुओं तथा योजना के सम्बन्ध में मध्यावधि मूल्यांकन/समीक्षा आधार पर ही तैयार किये जायें। जिन योजनाओं के सम्बन्ध में योजना की स्वीकृत अवधि, भौतिक/वित्तीय लक्ष्य एवं प्राप्त होने वाले परिणाम व प्रभाव को सम्मिलित करते हुये योजना का सक्षम स्तर से अनुमोदन न हुआ हो/अनुमोदित व चालू योजनाओं का मध्यावधि मूल्यांकन नहीं किया गया हो उनके लिये बजट व्यवस्था प्रस्तावित करने से पूर्व ऐसा करना सुनिश्चित कर लिया जाय एवं जिन योजनाओं के सम्बन्ध में उक्त की पूर्ति नहीं की गई होगी, उनके लिये बजट प्राविधान आय–व्ययक में सम्मिलित नहीं किया जाय। ऐसे प्रस्तावों पर वित्त विभाग द्वारा विचार किया जाना कठिन होगा।

(ग) स्टाफ पर निरन्तर बढ़ते व्यय तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं कम्प्यूटरीकरण आदि के उपयोग को दृष्टिगत रखते हुये "स्टाफ मानकों" का पुनरीक्षण किया जाय। प्रशासनिक विभाग इस तथ्य पर भी ध्यान दें कि लाभार्थी तक अपेक्षित लाभ पहुंचाने हेतु "डिलीवरी व्यवस्था" पर कितना खर्च किया जा रहा है तथा कार्यक्रम पर कितना व्यय हो रहा है। इसे स्वीकृत मानक की सीमा में रखते हुए ही

बजट अनुदानों के प्रस्ताव भेजे जायें। यथासम्भव विभिन्न व्यवस्था के अन्य कुशल/निपुण एवं प्रभावी विकल्प (Efficient and effective option) यथा आउटसोर्सिंग और पी०पी०पी० आदि व्यवस्था को अपनाये जाने पर विचार किया जाय। यदि विभिन्न कार्यों से प्राप्त पुनरीक्षण आवश्यक हो तो यथा सम्भव पदों का पुनर्निर्धारण/समायोजन (Redeployment/ Adjustment) से पूर्ति की जाय और कार्यों को यथासम्भव आउटसोर्सिंग आदि अन्य विकल्पों के माध्यम से कराने की व्यवस्था की जाय।

(घ) नये पदों का सृजन यथासम्भव न किया जाय और यदि ऐसा करना अपरिहार्य है तो नये पदों का सृजन अधिकतम 1 प्रतिशत तक ही किया जाय।

(ङ) शासन द्वारा दिये जा रहे अनुदानों की समीक्षा की जाय तथा अलाभकारी एवं गैर जरूरी अनुदानों को समाप्त किये जाने पर विचार किया जाय एवं अनुदानों को युक्तिसंगत (Rationalize) करने सहित नकद हस्तान्तरण (DBT)/कूपन व्यवस्था आदि विभिन्न दक्ष (Efficient) विकल्पों को अपनाये जाने पर विचार किया जाय।

(च) वर्ष 2025-26 हेतु स्पेशल कम्पोनेंट प्लान व ट्राइबल सब प्लान की सभी मांगें समाज कल्याण विभाग के माध्यम से भेजी जाय।

(छ) चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 30 नवम्बर, 2024 तक लोक-निजी सहभागिता (P.P.P) के माध्यम से कितनी योजनायें और कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है एवं आगामी वित्तीय वर्ष में कितनी योजनायें सम्भावित हैं, यह सूचना प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग को दिनांक 20.12.2024 तक उपलब्ध करा दी जाय (संलग्नक-6)। साथ ही बजट में बाह्य (Extrabudgetary) संसाधनों यथा मनरेगा आदि योजनाओं का पूर्ण सदुपयोग करते हुये राज्य सरकार के सीमित संसाधनों पर निर्भरता को कम किया जाय।

(ज) **चूंकि राज्य सरकार के संसाधन सीमित हैं। अतः किसी भी योजना के आय-व्ययक के प्रस्ताव भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजना का मूल्यांकन "जीरो बेस्ड बजटिंग" के आधार पर कर लिया गया है।** चालू योजनाओं हेतु धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व यह आवश्यक है कि उनका मूल्यांकन (Appraisal) समय-समय पर प्रशासकीय विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों द्वारा जहाँ आवश्यक हो, तृतीय पक्ष के माध्यम से किया जाय, एवं ज्ञात किया जाय कि परियोजना से होने वाले लाभ उनकी लागत के समानुपातिक हैं अथवा नहीं तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजना हेतु प्रस्तावित बजट योजना की स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही है तथा स्वीकृत योजना में निर्धारित किए गये लक्षित उद्देश्यों व लक्ष्यों की पूर्ति व्यय की गई धनराशि के अनुपात में हो रही है। परियोजना के लागत के सापेक्ष लाभ समानुपातिक न होने की दशा में परियोजनाओं की कमियों को दूर किया जाय एवं यथाआवश्यक संशोधन कर लिये जाय और यदि योजना अनुपयोगी पायी जाय अथवा लक्षित उद्देश्यों व लक्ष्यों की पूर्ति में सफल नहीं हुई है तो योजना को समाप्त कर आगे न चलाया जाय।

(झ) यह अनुभव किया गया है कि कई मामलों में धनराशि स्वीकृत कराकर पी०एल०ए०/बैंकों में जमा कर दी जाती है एवं वित्तीय वर्ष में व्यय नहीं हो पाती है। यह प्रक्रिया नितान्त आपत्तिजनक है। यह भी अनुभव किया गया है कि बजट मैनुअल के अध्याय-XVI प्रस्तर-182(1)(3) में इंगित व्यवस्थानुसार विभागों द्वारा नये कार्यों की स्वीकृति तथा चालू कार्यों हेतु धनावंटन के समय लागत एवं समय वृद्धि (Cost and Time over run) को नियंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। परिणामतः कई कार्य वर्षों से निर्माणाधीन हैं जिस कारण उनमें लागत व समय वृद्धि तो होती है साथ ही उनका उपयोग जनहित में समय से नहीं हो पाता। यह प्रथा वित्तीय एवं जनहित की दृष्टि से नितान्त आपत्तिजनक है। अतः प्रशासकीय विभागों/विभागाध्यक्षों के स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है कि कार्यों/योजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि पी०एल०ए०/बैंकों में पार्किंग न की जाय तथा कार्यों/योजनाओं के

लागत व समय वृद्धि की परिस्थिति उत्पन्न न हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जितनी धनराशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय किया जाना सम्भावित हो, उतनी ही धनराशि की मांग प्रस्तुत की जाय।

(ञ) ऐसे कार्यों का चिन्हांकन के आधार पर चयन किया जाय जिन्हें आउटसोर्सिंग/संविदा आधार पर कराकर व्यय को कम किया जा सकता है तथा इन कार्यों के लिए नियुक्त नियमित कर्मचारियों को अन्यत्र समायोजित करने पर भी विचार किया जाय। संविदा के आधार पर कर्मचारियों को नियोजित कर कार्य सम्पादित कराने के स्थान पर कार्य को ही संविदा/आउटसोर्सिंग आधार पर सम्पादित करवाया जाय।

(ट) अनुत्पादक व्यय में यथा सम्भव कमी लायी जाय तथा पूर्व में शासन द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस सम्बन्ध में व्यय की मद विशेष का चिन्हांकन कर व्यय कम करने के लक्ष्य निर्धारित करते हुये सार्थक प्रयास किये जायें।

(ठ) राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (बेसिक मिनिमम सर्विसेस), वाह्य सहायतित योजनाओं तथा केन्द्र पोषित योजनाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाय एवं जिन मानकों में इनके अन्तर्गत व्यवस्था है अथवा कराई जा सकती है, वहाँ पूर्णतः राज्य पोषित योजनायें न चलाई जायें। केन्द्रपोषित योजनाओं हेतु अनावश्यक परिव्यय न रखते हुए भारत सरकार के वार्षिक प्लान के अनुरूप ही परिव्यय रखा जाय। नई केन्द्रपोषित (CSS) एवं वाह्य सहायतित (EAP) योजनाओं हेतु यथावश्यक नई मांग (SND) का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।

(ड) विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में बजट मैनुअल के प्रस्तर–181 अन्तर्गत "जीरो बेस्ड बजटिंग" व्यवस्था तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर–182 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन तथा 'टाइम ओवर रन' एवं 'कास्ट ओवर रन' को दृष्टिगत रखते हुये चालू पूंजीगत निर्माण कार्यों हेतु 80 प्रतिशत धनराशि एवं नये निर्माण कार्यों हेतु 20 प्रतिशत धनराशि के आधार पर वर्ष 2025–26 के अनुमान प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराये जायें। जिन विभागों में बजट प्राविधान के सापेक्ष नये स्वीकृत कार्य अधिक संख्या में पूर्व से स्वीकृत हैं, वहाँ नये कार्यों के लिये बजट व्यवस्था कराने पर रोक लगाई जाय। पूर्व से स्वीकृत/चालू निर्माण कार्यों का विवरण एवं सूची संलग्न प्रारूपों (संलग्नक–8क, 8ख) में दिनांक 20.12.2024 तक वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(ढ) व्यय के अनुमानों मुख्य रूप से वेतन, महंगाई भत्ते आदि को तैयार करते समय स्वीकृत पदों के स्थान पर केवल भरे हुए पदों (कार्यरत पदों) एवं वर्ष में होने वाली नई नियुक्तियों को ही आधार माना जाय। इस हेतु विभाग द्वारा आई0एफ0एम0एस0 के एच0आर0एम0एस0 मॉड्यूल में पदों के सम्बन्ध में दी गयी सूचना को आधार माना जायेगा। एच0आर0एम0एस0 मॉड्यूल में इस सूचना को भरने के बाद ही विभाग द्वारा आगामी वर्ष की बजट मांग किया जाना सम्भव हो पायेगा।

(ण) पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों के रख–रखाव हेतु अनुमन्य मानकों के अनुसार व्यय अनुमान प्रस्तावित किया जाय।

11. बजट मैनुअल के प्रस्तर–42 के क्रम में निर्धारित प्रपत्र (बी0एम0–2 पार्ट–1) पर वित्तीय वर्ष 2024–25 की बजट अनुमानों के सापेक्ष इसी वर्ष के प्रथम 06 माह का वास्तविक व्यय तथा अन्तिम 06 माह के अपेक्षित व्यय को दृष्टिगत रखते हुए आधिक्य/बचत की स्थिति विलम्बतम 20.12.2024 तक उपलब्ध करायी जाय।

12. सभी मदों में वास्तविकता के आधार पर आगामी वर्ष हेतु मांग की जाय। यदि विभाग किसी कारणवश अधिक वृद्धि चाहता है तो उसका स्पष्टीकरण भी संलग्न करें तथा विभागीय चर्चा में प्रकरण को प्रकाश में लाया जाना सुनिश्चित करें।

13. <u>जिला योजना हेतु दिशा–निर्देश</u> :-

वित्तीय वर्ष 2017–18 से जिला योजना हेतु धनराशि का प्राविधान आय–व्ययक में प्रत्येक अनुदानवार/विभागवार शीर्षक/उपशीर्षक/मदवार शीर्षक के स्थान पर अनुदान संख्या–7, 30 एवं 31 के अन्तर्गत एकमुश्त आधार पर प्रारम्भ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में भी तदनुसार ही अनुदान संख्या–7, 30 एवं 31 में जनपदवार एकमुश्त आधार पर बजट व्यवस्था की जायेगी, अतः जिला योजनान्तर्गत सम्मिलित किये जाने वाले कार्यों हेतु कार्यवार प्रस्ताव सम्बन्धित जनपद के जिला योजना समिति के समक्ष विभाग द्वारा यथासमय प्रस्तुत किये जायेंगे। **योजना आयोग समाज कल्याण विभाग के साथ समन्वय करके जिला योजना की अनुदान 07, 30 व 31 की धनराशि का प्रावधान वित्त विभाग को उपलब्ध करायेंगे।**

14. <u>आय–व्ययक संरचना हेतु सामान्य दिशा–निर्देश</u> :–

(i) वर्तमान में राज्य सेक्टर में चलायी जा रही योजनाओं के स्वरूप में यथावश्यक परिवर्तन करके बाह्य सहायता/केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त करने तथा योजनाओं का विलयीकरण करने के प्रयास किये जायें। यदि समान प्रकृति की योजनाएं बाह्य सहायतित अथवा केन्द्रपोषित योजनाओं के रूप में चल रही हो अथवा अनुमन्य हो तो राज्य सरकार से वित्तपोषित राज्य सेक्टर योजनाओं हेतु प्राविधान न किया जाय।

(ii) राज्य सरकार का बजट ऑनलाईन तैयार किया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि बजट अनुमानों में लेखा–शीर्षक का पूर्ण वर्गीकरण किया जाय। कृपया यह भी सुनिश्चित कर लें कि वित्तीय वर्ष 2025–26 का आय–व्ययक तैयार करते समय व्यय के अनुमानों को परिष्कृत मानक–मदों के अन्तर्गत ही वर्गीकृत किया जाय। मानक मदों में यथावश्यक संशोधन कर दिया गया है। संशोधित व पूर्ण मानक मदों की सूची आगे दी गयी है (संलग्नक–2)। **प्रत्येक योजना की प्रत्येक मानक मद में की जा रही मांग का औचित्य IFMS में अवश्य उपलब्ध कराया जाय।**

(iii) लोक–लेखा समिति व महालेखाकार कार्यालय द्वारा समय–समय पर लेखा परीक्षा–प्रतिवेदनों पर विचार करते समय यह मत व्यक्त किया है कि अधिकांश मामलों में व्ययाधिक्य अथवा बचतें त्रुटिपूर्ण बजट अनुमानों के कारण होती हैं। अतः राज्य में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु बजट मैनुअल के <u>अध्याय–14 प्रस्तर–156</u> में उल्लिखित अनियमितताओं से बचने तथा <u>अध्याय–XII</u> में उल्लिखित वित्तीय अनुशासन एवं प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाय।

(iv) महालेखाकार द्वारा लेखाशीर्षक (List of Major and Minor Head) की नई सूची निर्गत कर दी गई है। लेखाशीर्षक –800–अन्य व्यय में अनेक तरह के खर्चों हेतु बजट प्रावधान किये जाने पर आपत्तियां इंगित की जाती है। अतः नई लेखाशीर्षक सूची के अनुसार लेखाशीर्षकों के अनुसार बजट प्राविधान प्रस्तावित किए जाएं तथा 800 लेखाशीर्षक के अन्तर्गत केवल ऐसे खर्चों से सम्बन्धित बजट प्रावधान किया जाये जिसके लिये अन्य सुसंगत लेखाशीर्षक उपलब्ध न हो। यदि पूर्व में वृहत निर्माण कार्य राजस्व मद के अन्तर्गत खुला हो तो उसको पूंजीगत मद के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर लिया जाय।

(v) बजट साहित्य को सूचनाप्रद एवं उपयोगी बनाने के उद्देश्य से यह भी निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के समक्ष (कोष्ठक में) यह भी उल्लेख किया जाय कि अमुक योजना किस सीमा तक केन्द्रांश/प्रतिपूर्ति सम्बन्धित संस्था द्वारा वित्तपोषित होगी।

(vi) चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक साहित्य के खण्ड–5 में प्रदर्शित अनुदानवार योजनाओं हेतु निर्धारित विभागाध्यक्ष एवं सम्बन्धित सचिव की सूची का मिलान आवश्य किया जाए। यदि कोई संशोधन हो तो उसे निदेशक, कोषागार के संज्ञान में लाया जाय।

(vii) आय–व्ययक साहित्य के खण्ड–6 में विभिन्न विभागों के स्वीकृत पदों का विवरण अंकित होता है। अतः दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार राजकीय विभागों के कर्मचारियों के स्वीकृत पदों, का विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक विभागाध्यक्ष द्वारा इस हेतु नियत तिथि तक आई.एफ. एम.एस. के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाय। साथ ही इस हेतु प्रशासकीय विभाग के सम्बन्धित अनुभाग/अनुभाग अधिकारी जिनको इस कार्य हेतु नोडल व्यक्ति बनाया गया है, द्वारा व्यक्तिगत ध्यान देकर सूचनायें दर्ज/प्रेषित की जायेगी। इस सम्बन्ध में गत वर्ष में 01.04.2023 की सूचना के सापेक्ष इस मध्य कोई नया पद सृजित हो अथवा पद समाप्त हुआ हो या पूर्ति की स्थिति में परिवर्तन हो तो उसे सम्मिलित करते हुये सूचना दर्ज/प्रेषित की जाय। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के वेतन वितरण हेतु लागू एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली के अधीन प्रत्येक माह कर्मचारियों के सम्बन्धित विवरण तथा डाटाबेस इन्टरनेट (ifms.uk.gov.in) IFMS पर उपलब्ध है। अतः योजनाधीन भरे हुये पदों की संख्या तथा वेतनमान, ग्रेड पे तथा अनुमानित आदि कालम पूर्व प्रतिबिम्बित भी रहते हैं। विगत वर्षों में इन सूचनाओं में कई कमियां दृष्टिगोचर हुयी हैं। अतः यह अपेक्षित है कि इसमें सर्तकता बरती जाय एवं प्रमाणित व सही सूचनायें ही दर्ज/प्रेषित की जायें। इस हेतु विभाग द्वारा आई0एफ0एम0एस0 के एच0आर0एम0एस0 मॉड्यूल में पदों के सम्बन्ध में दी गयी सूचना को आधार माना जायेगा। एच0आर0एम0एस0 मॉड्यूल में इस सूचना को भरने के बाद ही विभाग द्वारा आगामी वर्ष की बजट मांग किया जाना सम्भव हो पायेगा। सहायतित विभाग व सार्वजनिक उपक्रमों से सम्बन्धित पदों की सूचना आई0एफ0एम0एस0 सॉफ्टवेयर के माध्यम (ifms.uk.gov.in) से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के अनुभाग अधिकारी द्वारा भरी जायेगी।

(viii) विभिन्न प्रशासकीय विभागों के अधीन निगमों को दी गई शासकीय प्रत्याभूतियों (Government Guarantees) एवं प्रत्याभूति शुल्क की सूचना निर्धारित प्रारूप (संलग्नक–7) पर दिनांक 20.12.2024 तक वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जाय जिससे आय–व्ययक खण्ड–2 में वास्तविक स्थिति अंकन हो सके। साथ ही शासकीय प्रत्याभूतियों के सापेक्ष देय शुल्क (अवशेष शुल्क सहित) का आकलन करते हुये राजस्व आय में उसको समाविष्ट किया जाय।

(ix) गत वित्तीय वर्षों में यह देखा गया है कि आय–व्ययक विधानसभा से पारित होने के पश्चात निर्माण कार्यों के आगणन बनाये जाते हैं एवं तत्पश्चात टी0ए0सी0 को परीक्षण हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं। इस प्रक्रिया में वित्तीय वर्ष के लगभग 06 से 08 माह निकल जाते हैं एवं निर्माण कार्य कराने के लिये समय कम रहता है। अतः सभी प्रशासकीय विभागों द्वारा जो निर्माण कार्य वर्ष 2025–26 में कराये जाने प्रस्तावित/सम्भावित हों, उनके आगणन बनाकर टी0ए0सी0 से परीक्षण हेतु दिनांक 28.02.2025 तक उपलब्ध करा दिये जायें एवं वर्ष 2025–26 का आय–व्ययक विधानसभा द्वारा पारित होने के पश्चात माह अप्रैल, 2025 में ही निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करा ली जाय ताकि निर्माण कार्यों को बरसात के मौसम से पूर्व शुरू कर गति प्रदान की जा सके। साथ ही निर्माणाधीन कार्यों का सतत अनुश्रवण करते हुये वित्तीय वर्ष 2025–26 में निर्माणाधीन कार्यों हेतु किये जाने वाले व्यय का भी आंकलन करते हुये वांछित धनराशि की त्रैमासिक फेजिंग भी दिनांक 28.02.2025 तक तैयार कर ली जाय ताकि तदनुसार प्रत्येक त्रैमास के प्रारम्भ में ही वांछित धनराशि अवमुक्त/आहरित कर समयबद्ध रूप से उपभोग/व्यय की जा सके।

(x) बजट तैयार करने, अवमुक्तिकरण, मासिक आय–व्यय विवरण, कोषागार से मिलान, पुनर्विनियोग, बजट आवंटन हेतु बजट मैनुअल के प्रपत्र निर्धारित किये गये हैं (बी0एम0–1 से बी0एम0–17), अतः इन प्रपत्रों को निर्धारित प्रक्रिया तथा तिथि पर तैयार किया जाय तथा यथा आवश्यक सक्षम अधिकारी को भेजा जाय। इस सम्बन्ध में IFMS के माध्यम से इन प्रपत्रों से सम्बन्धित विभिन्न सूचनाओं को नियमित आधार पर कम्प्यूटर से देखा जाय और कोई त्रुटि पाये जाने पर कोषागार एवं महालेखाकार स्तर से

समन्वय कर उसके निराकरण की कार्यवाही की जाय।

(xi) बजट प्राविधान के सापेक्ष व्यय को लेखाशीर्षक वार महालेखाकार से समयबद्ध मिलान करना एवं उपयोग प्रमाण पत्र (Utilisation Certificate) समय से निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण एवं तथ्यात्मक/प्रमाणिक विवरणों सहित उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है जिसका पूर्णतः अनुपालन किया जाय।

(xii) बजट मैनुअल के प्रस्तर-22 के अनुसार आय-व्ययक अनुमानों की एक-एक प्रति विभाग द्वारा सम्बन्धित बजट टिप्पणी व अन्य सूचनाओं सहित कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रशासनिक विभाग, उत्तराखण्ड के बजट अनुभाग को भी भेजे जाने की व्यवस्था है ताकि बजट मैनुअल के प्रस्तर-24 के अनुसार महालेखाकार द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(xiii) आप अवगत ही हैं कि वर्ष 2007-08 से जेण्डर बजट आय-व्ययक के साथ सदन के पटल पर रखा जाता है। अतः प्रशासनिक विभाग से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में जेण्डर बजट की सूचना आई0एफ0एम0एस0 सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रारंभ में विभागाध्यक्ष स्तर पर योजनावार भरा जाना अनिवार्य है जिसे विभागीय सचिव के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा। जिन योजनाओं पर महिलाओं हेतु शत प्रतिशत व्यय किया जा रहा है, उन्हें श्रेणी-1 में तथा जिन योजनाओं पर 100 प्रतिशत से कम व्यय किया जा रहा है, उन्हें श्रेणी-2 में सुस्पष्ट रूप से प्रतिशत, यथा 30%, 40%, 50%, 60% आदि चिन्हित करते हुए निर्धारित प्रारूप पर (संलग्नक-9) दिनांक 20.12.2024 तक वित्त विभाग को उपलब्ध करा दी जाये। जेण्डर बजट में सम्मिलित व्यय अनुमानों के सम्बन्ध में क्रियान्वयन, मूल्यांकन तथा प्रभाव आकलन की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय। जेण्डर बजट में जो योजनाएँ संचालित हो रही हैं, उनका मिलान विभाग स्तर पर करते हुए यदि कोई नई योजना जोड़नी हो या कोई योजना बन्द हो गयी हो तो उसे हटाने हेतु विभाग द्वारा बजट प्रस्ताव के साथ पृथक से जेण्डर बजट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।

(xiv) नई मांग (खण्ड-3), पदों के विवरण सम्बन्धित सूचना (खण्ड-6) तथा जेण्डर बजट अलग-अलग पत्रावलियों में भेजे जाय।

15. <u>सुलभ संदर्भ हेतु चैक लिस्ट</u> –

(i) अनुदानवार योजनाओं हेतु निर्धारित विभागाध्यक्ष एवं सम्बन्धित सचिव की सूची का मिलान अवश्य किया जाय। यदि कोई संशोधन हो तो उसे निदेशक, कोषागार के संज्ञान में लाया जाय।

(ii) आय एवं व्यय के अनुमान पृथक-पृथक अनुमन्य मानक लेखाशीर्षक एवं मानक मदों के अनुरूप ही तैयार किये जाते हैं। पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2024-25 में जहाँ व्यय शून्य हो या असाधारण रूप से कम हो, उसे हाइलाइट किया जाय, प्रत्येक मांग का औचित्य अवश्य दिया जाय। जहाँ कहीं पुनरीक्षित अनुमानों में बजट अनुमान के सापेक्ष बड़ा अन्तर हो उसका औचित्य अवश्य स्पष्ट किया जाय। अन्यथा औचित्य के बिना विभाग को बजट अंतिमीकरण में असुविधा होती है। यदि किसी विभाग में नवीन पद सृजित हुए हों एवं वेतनमानों में वृद्धि हुई हो तो इसका उल्लेख औचित्य में अवश्य किया जाय।

(iii) व्यय अनुमान वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये साइट पर अपलोड कर प्रेषित किये जायें। किसी लेखाशीर्षक एवं/अथवा उसके अन्तर्गत किसी मद विशेष में पहली बार बजट प्रस्ताव अथवा पूर्व वर्ष 2024-25 के बजट प्राविधान के सापेक्ष असाधारण वृद्धि के प्रकरण नई मांग के माध्यम से मैनुअल रूप से उपलब्ध करायी जाय। नई मांग भी आई0एफ0एम0एस0 के माध्यम से अपलोड किया जाना आवश्यक है। अपेक्षित लेखाशीर्षक का सृजन व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

(iv) बजट मांग में प्रस्तावित धनराशि रूपये में ही अंकित की जाय, बजट निदेशालय द्वारा इसे हजार रूपये में परिवर्तित किया जायेगा।

[illegible]

[illegible]

[illegible] कर ली जाए

[illegible] 2025-26 [illegible] विभाग के स्तर पर आय व्ययक अनुमान तैयार किया जा सके

[illegible]

(ख) जहां सम्भव हो वहां योजनाओं का रेशनलाइजेशन किया जाय।

(ग) वर्ष के अन्त में बचत (surrender) की धनराशि आई०एफ०एम०एस० के माध्यम से आगणित करते हुये प्रशासकीय सचिव के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित किया जाय। वित्त विभाग में सम्बन्धित अनुभाग द्वारा इस आशय की सूचना महालेखाकार को दी जायेगी।

[illegible] से सम्पर्क किया जाये

[illegible]

अ– नया हैड खोला जाना

ब– योजनाओं का रेशनलाइजेशन

स– राज्य आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति

द– योजना के नाम में परिवर्तन

[illegible]

[illegible] परिवर्तन किया जाना हो।

[illegible]

[illegible] कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये।

Signed by

Dilip Jawalkar

Date 28-1...2024 4:05:15

(दिलीप जावलकर)

सचिव

[illegible]

1. निजी सचिव, मा. वित्त मंत्री जी उत्तराखण्ड
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. [illegible] इस आशय से प्रेषित कि [illegible] वर्ष 2024-25 [illegible] 2.2024 [illegible]
4. [illegible] करा दिया जाय।
5. [illegible]
6. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर देहरादून।
7. [illegible] उपलब्ध करा दें।
8. [illegible]
9. [illegible] IFMS Software [illegible]
10. [illegible]
11. गार्ड फाइल।

(दिलीप जावलकर)
सचिव

संलग्नक-1

नई मदों के प्रस्तावों को तैयार करने हेतु नियंत्रक अधिकारियों द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले मुख्य बिन्दु

1. [illegible] आवश्यक है?
2. [illegible] सकती है यदि नहीं तो औचित्य प्रदान करें
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible] अतिरिक्त व्यय उपरान्त किये आरम्भ किया जा सकता है?
6. [illegible] लागत किन्हीं मानकों के आधार पर आकलित की गई है?
7. [illegible] को सूचीबद्ध करना चाहिये
8. [illegible] किया जाना चाहिये
9. [illegible]

नई माग प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप

विभाग [illegible]

अनुदान संख्या व नाम

नियंत्रक अधिकारी [illegible]

विभागाध्यक्ष का पदनाम

(धनराशि हजार रुपये में)

[illegible]

1 [illegible]

2 [illegible]

3 [illegible]

4 [illegible]

[illegible] द्वितीय [illegible]

5 [illegible] मदवार विवरण तथा वर्षवार चरण कुल आवर्ती व्यय में अधिष्ठान व्यय का अंश (प्रतिशत में) दर्शाया जाए

6 [illegible] की संख्या अपेक्षित है तो पदों की संख्या (वेतनमानों के [illegible]

7 [illegible] पश्चात् स्तरवार पर वर्षवार अनुमोदित व्यय

8 [illegible]

[illegible] यदि है तो उसका उल्लेख करें)–

[illegible] उल्लेख करें)

[illegible] राज्य क्षेत्र योजनाएं

[illegible]

9 [illegible]

(भूमि–भवन सज्जा, यंत्र उपकरण, वाहन इत्यादि सहित) की [illegible]

में दिया जाये (पांच करोड़ रुपये तक की लागत वाली [illegible]

[illegible]

[illegible] प्रस्तावित बजट अनुमानों का वर्गीकरण (यह [illegible] किया जाना चाहिये कि प्रस्तावित व्यय [illegible] लिये है या केवल राज्य के भाग के लिये)

कुल राजस्व व्यय

पूंजीगत व्यय

कुल पूंजीगत व्यय

अन्य संबंधित विवरण [illegible]

[illegible]

(४) वे बिन्दु जिन पर निर्णय/स्वीकृति चाही गई है

[illegible]

संलग्नक- 2

वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुमन्य मानक मदों की सूची

संशोधित / नई मानक मद	विवरण	सम्मिलित पुराने मानक मद (बजट मैनुअल की परिशिष्ट ?)
01 [illegible]	[illegible] वेतन/संवाकाल में अर्जित अवकाश का नकदीकरण एवं सरकारी सेवकों को अनुमन्य बोनस सम्मिलित होंगे	01 [illegible] 08 [illegible] 57 [illegible]
02 [illegible]	[illegible]	02 [illegible] 16 [illegible]
03 [illegible]	[illegible]	03 [illegible]
04 [illegible]	[illegible] यात्रा व्यय सम्मिलित होंगे। परिवहन में नए वाहनों का [illegible]	04 [illegible] 45 [illegible]
05 [illegible]	[illegible]	[illegible]
06 [illegible]	[illegible]	06 [illegible]
07 [illegible]	[illegible] के रूप में दी जाने वाली धनराशि की व्यवस्था को सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा मनोनीत विभिन्न कर्मचारी महानुभावों पर होने वाले व्यय की व्यवस्था [illegible] होगी।	7 [illegible]
08 [illegible]	[illegible] होंगी जबकि पूर्व में इन्हें किसी अन्य मानक मद से भुगतान [illegible]	[illegible]
09 [illegible]	[illegible]	27 [illegible]
10 प्रशिक्षण व्यय	[illegible] प्रशिक्षण की आवश्यकता के लिए इन्डक्शन ट्रेनिंग (सेवा में प्रवेश, प्रोन्नति के समय प्रशिक्षण) रिफ्रेशर ट्रेनिंग (पुनर्बो	44 [illegible]

	[illegible] सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होंगे प्रशिक्षण [illegible] एवं अन्य व्यय का भुगतान सम्मिलित [illegible]	
[illegible]	[illegible] निर्धारित कार्मिकों की अनुकम्पता के आधार [illegible] आने वाले सभी मदें/व्यय शामिल होंगे, [illegible] कैम्प सहायक, मोबाइल/लैपटॉप/सूटकेस के क्रय पर व्यय तथा न्यायिक अधिकारियों को अनुमन्य [illegible]	नई मानक मद
2 [illegible]	[illegible]	[illegible]
3 [illegible]	[illegible] को [illegible]	
20 लेखन सामग्री एवं छपाई	इस [illegible] छपाई और अन्य लेखन सामग्री क्रय (कम्प्यूटर स्टेशनरी [illegible]	[illegible] लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई [illegible]
21 कार्यालय फर्नीचर एवं [illegible]	[illegible] (इलेक्ट्रॉनिक) [illegible]	[illegible]
22 [illegible]	[illegible] खरीद, जनरेटर [illegible] स्थापित मशीनों [illegible] अनुरक्षण/[illegible] अनुरक्षण से सम्बन्धित [illegible] इसके साथ ही [illegible] जाने वाले [illegible]	[illegible]
23 [illegible]	[illegible]	[illegible] स्थापित [illegible]
24 [illegible]	[illegible] के मुद्रण पर [illegible] कमीशन और विज्ञापन [illegible]	18- प्रकाशन 19- विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय
25 [illegible]	[illegible] सरकार की तरफ से आवासों में लगे टेलीफोन (CUG, आदि [illegible]	09 [illegible] [illegible] [illegible]

	[illegible] होगा। इस मानक मद में भुगतान सेवा प्रदाता को किया जाएगा।	
26- [illegible]	[illegible]	46 [illegible]
27- [illegible]	[illegible] के संचालन के लिये परीक्षकों और अन्य निरीक्षकों आदि को देय पारिश्रमिक, विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के गेस्ट स्पीकर्स को देय मानदेय से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होंगे। [illegible] के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर ली गयी सेवाओं पर होने वाले व्यय (जैसे- सफाई व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था अथवा बागवानी सम्बन्धी सेवाओं) सम्मिलित होंगे। नोट- आउटसोर्सिंग पर नियोजित कार्मिकों के मानदेय [illegible] पर लिए गए अनुबंधित वाहनों से सम्बन्धित व्यय इस मानक मद में किसी भी दशा में नहीं किए जायेंगे।	[illegible]
28- [illegible]	[illegible]	[illegible]
29- [illegible]	[illegible] अतिरिक्त- (क) सरकारी वाहन की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुबन्ध के आधार पर किराये पर लिए गए मोटर वाहनों की व्यवस्था पर अनुमन्य व्यय भी इस मद के अन्तर्गत सम्मिलित होगा। (ख) विभाग द्वारा आकस्मिकता के आधार पर किराए पर लिए गए वाहनों की व्यवस्था पर अनुमन्य व्यय भी इसमें सम्मिलित होगा।	[illegible] सेवाओं के लिये भुगतान
30- [illegible]	[illegible]	22 [illegible]
3[illegible]	[illegible] होंगे।	[illegible]
40- [illegible]	[illegible] सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होंगे।	40 [illegible] 26 [illegible] उपकरण एवं संयंत्र
[illegible]	[illegible]	[illegible]

	व्यवस्था से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होंगे	
42 अन्य विभागीय व्यय	यह अवशेष मद है इसमें पारितोषिक और पुरस्कार सम्बन्धी व्यय तथा विवेकाधीन कोष से सम्बन्धित व्यय भी सम्मिलित है इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा समय समय पर आयोजित कॉन्फ्रेंस, प्रदर्शनी/मेला एवं महोत्सव आदि पर होने वाले व्यय सम्मिलित होंगे	42 [illegible]
43– औषधि तथा रसायन	इस मानक मद के अंतर्गत चिकित्सालयों/प्रयोगशालाओं आदि के लिये औषधि तथा रसायन से सम्बन्धित समस्त व्यय सम्मिलित होंगे (जिसमें रुई पट्टी आदि सम्मिलित है)	39 औषधि तथा रसायन
44– सामग्री एवं सम्पूर्ति	इस मानक मद के अन्तर्गत खाद्यान्न, बीज, खाद, राजकीय मुद्रणालयों के लिये कागज एवं अन्य मुद्रण सामग्री, [illegible] वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री आदि से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित है	31 सामग्री एवं सम्पूर्ति
45 छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन	इस मानक मद के अंतर्गत विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्र वेतन की व्यवस्था	[illegible]
46 [illegible]	इस मानक मद के अंतर्गत वन विभाग/उद्यान विभाग द्वारा वृक्षारोपण तथा अनुरक्षण से जुड़े हुये समस्त कार्यकलापों से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होंगे।	[illegible]
[illegible]	इस मानक मद के अंतर्गत आर्थिक सेवाओं से सम्बन्धित दी जाने वाली राज सहायता से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होंगे।	30 [illegible]
5[illegible] [illegible]	इस मानक मद के अंतर्गत निर्माण कार्य, मशीनों और उपकरणों आदि के अनुरक्षण व्यय को अभिलिखित किया जाता है। इसमें मरम्मत सम्बन्धी व्यय भी सम्मिलित होंगे	29 [illegible]
52 [illegible]	इस मानक मद के अंतर्गत विभिन्न शासकीय विभागों/कार्यालयों में कराए जा रहे मेंटेनेंस/लघु निर्माण श्रेणी के अन्तर्गत (जिसका निर्धारण वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा) से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होंगे	25 लघु निर्माण कार्य
53 [illegible]	इस मानक मद के अंतर्गत विभिन्न शासकीय विभागों/कार्यालयों में कराए जा रहे वृहद निर्माण श्रेणी के अन्तर्गत (जिसका निर्धारण वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा) से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होंगे	24 वृहत निर्माण कार्य
54 [illegible]	[illegible]	[illegible]
55– पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	इस मानक मद के अन्तर्गत पूँजीगत कार्यों एवं परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता [illegible]	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान
56– सहायता अनुदान – सामान्य (गैर वेतन)	इस मानक मद के अन्तर्गत मानक मद 55 में परिभाषित सहायता अनुदान को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की सहायता	[illegible] अनुदान/अंशदान / राज

57 [illegible]	[illegible]	
58 [illegible]	[illegible] मे आवर्ती [illegible] की व्यवस्था से सम्बन्धित व्यय [illegible]	30 [illegible]
61 [illegible]	इस [illegible] के अन्तर्गत सार्वजनिक संस्थाओं / निगमों आदि [illegible] दिये [illegible]	30 [illegible]
62 [illegible]	इस [illegible] मद के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋण [illegible] ब्याज का भुगतान से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित [illegible]	32 ब्याज / लाभांश
63 [illegible]	[illegible] अन्तर्गत [illegible] से सम्बन्धित [illegible] सम्मिलित [illegible]	33 [illegible]
64 [illegible]	इस मानक मद [illegible] जाने वाले ऋण के लिये व्यवस्था [illegible] के आधार से [illegible] व्यय [illegible]	[illegible]
65 [illegible]	[illegible] से सम्बन्धित व्यय [illegible]	34 अवमूल्यन
66 [illegible]	[illegible] लोक सेवा से [illegible] लोक सेवा [illegible] की जाने वाली [illegible]	[illegible]
6[illegible]	[illegible]	
68 [illegible]	[illegible] अन्तर्गत [illegible] सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होंगे	
69 [illegible]	[illegible] मद के अन्तर्गत [illegible] सुविधा [illegible] राज्य के युद्ध [illegible] संस्थाओं को [illegible] होंगे।	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
7[illegible]	[illegible]	[illegible]
72 [illegible]	[illegible] व्यय (यदि कोई हो) सम्मिलित होगा।	[illegible]

संलग्नक-3

1. वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक हेतु प्राप्तियों 'कर एवं करेत्तर' के आंकड़े को वेब पोर्टल में प्रेषित करने के प्रपत्र का नमूना

(धनराशि हजार रु० में)

वास्तविक आंकड़े 2022-23	आय-व्ययक अनुमान 2024-25	पुनरीक्षित अनुमान 2024-25	लेखाशीर्षक अंक में	लेखाशीर्षक के नाम	आय-व्ययक अनुमान 2025-26	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7

2. विभागाध्यक्ष के स्तर पर रखे जाने हेतु ऋण विवरण के प्रपत्र का नमूना जो वेब पोर्टल के माध्यम से [illegible] के साथ प्रेषित किया जायेगा

(धनराशि हजार रु० में)

[illegible]	ऋण की स्वीकृत धनराशि	[illegible] ऋण की धनराशि	[illegible] ऋण के देय [illegible] धनराशि	अवशेष धनराशि [illegible]
1	2	3	4	5

संलग्नक -4

[illegible] 2025-26 [illegible]

(धनराशि हजार रु0 में)

वास्तविक आंकड़े 2022-23	आय-व्यय के अनुमान 2024-25	पुनरीक्षित अनुमान 2024-25	[illegible]	लेखाशीर्षक का नाम	आय-व्यय अनुमान 2025-26	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

Microsoft Word - Budget 2025-26 document 1.pdf
file:///C:/Users/Finance-01/Downloads/document 1.pdf

संलग्नक -5

आउटकम बजट 2025-26 का प्रारूप

विभाग का नाम: विभाग के अन्तर्गत आच्छादित प्रमुख एस०डी०जी०

(धनराशि रू० लाख में)

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउटले से बजट		1.4.2024 की वास्तविक स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2025 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2025-26	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2025-26	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
		राजस्व	पूँजीगत					

सतत विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप:-

क्र0	एस0डी0जी0 संकेतक	1.4.2024 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2025 की सम्भावित स्थिति भौतिक	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2025-26	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2025-26

नोट – आउटकम बजट को सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Goal Development) के साथ आच्छादित किया जाता है। विभाग की एक या एक से अधिक योजनाओं से एक अथवा एक से अधिक एसडीजी संकेतक की पूर्ति की जा सकती है। उन एसडीजी लक्ष्यों हेतु सम्बन्धित प्रारूप में सूचनाऐं आउटकम बजट प्रारूप के तुरन्त पश्चात् अंकित करनी होगी।

लोक निजी सहभागिता (P P P) की योजनाऐं

विभाग का नाम

क्र.स.	P P P की योजना का नाम	[illegible] P P P [illegible]	30 [illegible] 2024 तक P P P के [illegible]	वर्ष 2025-26 हेतु प्रस्तावित [illegible] राशि	वर्ष 2025-26 हेतु [illegible]

वित्तीय वर्ष 2024–25 में उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त शासकीय प्रत्याभूतियाँ (Government Guarantees)

विभाग का नाम..............

(₹ करोड़ में)

श्रेणी (प्रतिभूतियों की संख्या कोष्ठक में)	अधिकतम प्रत्याभूतिकृत राशि	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (प्रदत्त प्रतिभूतियों को छोड़कर)	वर्ष के दौरान प्रदत्त		वर्ष के अन्त में बकाया	प्रतिभूति कमीशन अथवा शुल्क		अन्य वस्तुपरक विवरण
					उन्मोचित	उन्मोचित न की गई		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Microsoft Word - Budget 2024-25 - document-1.pdf
file:///C:/Users/finance-01/Downloads/document-1.pdf
08-11-2024 16:07

संलग्नक 8(क)

पूर्व से स्वीकृत/चालू पूंजीगत निर्माण कार्यों का विवरण

विभाग का नाम________________________

क्रमांक	सैक्टर	30.11. 2024 को पूर्व से स्वीकृत/चालू पूंजीगत निर्माण/कार्यों की कुल संख्या	स्वीकृत कुल मूल लागत (रू0 हजार में)	पुनरीक्षित कुल मूल लागत (रू0 हजार में)	30.11.2024 तक व्यय कुल धनराशि (रू0 हजार में)	30.11.2024 को लागत के सापेक्ष कुल अवशेष धनराशि (रू0 हजार में)
	जिला सैक्टर					
	राज्य सैक्टर					
	केन्द्रपोषित					
	वाह्य सहायतित					

संलग्नक – 8(ख)

पूर्व से स्वीकृत/चालू पूंजीगत कार्यों की सूची

विभाग का नाम________________

क्रमांक	सैक्टर	30.11. 2024 को पूर्व स्वीकृत/चालू कार्यों के नाम	स्वीकृति लागत वर्ष	स्वीकृत मूल लागत (रू0 हजार में)	पुनरीक्षित लागत (रू0 हजार में)	30.11. 2024 तक व्यय (रू0 हजार में)	लागत के सापेक्ष 30.11.2024 को अवशेष धनराशि	विलम्ब के प्रमुख कारण
	जिला सैक्टर	1. 2. 3. 4. . .						
	राज्य सैक्टर	1. 2. 3. 4. . .						
	केन्द्रपोषित /सहायतित	1. 2. 3. 4. .						
	वाह्य सहायतित	1. 2. 3. 4.						

संलग्नक – 9

जेंडर बजट का उदाहरणीय प्रारूप

क्र0 सं0	अनु0 सं0	लेखाशीर्षक	योजना का नाम	कुल बजटीय प्रस्ताव (हजार रू0 में)	कुल लाभार्थी संख्या	महिला लाभार्थी संख्या	जेंडर प्रतिशत	जेंडर बजट (हजार रू0 में)	औचित्य
1		2515-00-102-97-03-96	आईफैड बाह्य सहायतित योजना (ग्रामीण उद्यम वेगवृद्धि योजना)	100	350000	332500	95	95	अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु क्रमशः 24.43 एवं 4.73 प्रतिशत, अल्पसंख्यकों हेतु 16.05 प्रतिशत एवं उक्त सभी महिलाओं हेतु 95 प्रतिशत धनराशि
2		2515-00-102-01-09	पं0 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	100	6000	1980	33	33	महिलाओं हेतु 33 प्रतिशत धनराशि मात्राकृत
3		2501-06-102-01-01	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	100	165000	165000	100	100	ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं को संगठित कर स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं कलस्टर संगठन के रूप में उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराना।
4		2515-00-102-01-10	प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण	100	68515	56803	82	82	योजनान्तर्गत आवास आवंटन यथासम्भव महिलाओं के नाम पर किया जाता है
5		2505-02-101-01-01	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	100	13946338	7873075	56.44	56	योजनान्तर्गत औसतन 56 प्रतिशत मानव दिवस महिला श्रमिकों द्वारा सृजित किये जाते है

नोट–

1. कुल लाभार्थी संख्या एवं महिला लाभार्थी संख्या इस वित्तीय वर्ष में आतिथि तक।
2. गैर लाभार्थी केन्द्रित योजनाओं/कार्यक्रमों में महिलाओं की हिस्सेदारी के अनुमान अथवा उनको होने वाले लाभ के प्रतिशत के आधार पर जेंडर बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करें।